मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक18सन् 2005

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

विषय–सूची

खण्ड :

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2– परिभाषाएं।
3– राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य।
4– राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांत।
5– राजकोषीय नीति के विवरण विधान–मंडल के समक्ष रखे जायेंगे।
6– वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रोइकनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)।
7– मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण।
8– राजकोषीय नीतियुक्त विवरण।
9– राजकोषीय लक्ष्य।
10– राजकोषीय पारदर्शिता के लिए उपाय।
11– अनुपालन करवाने के लिये उपाय।
12– नियम बनाने की शक्ति।
13– सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
14– अन्य विधियों के लिये लागू होने का वर्जन।
15– कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक18सन् 2005
मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थायित्व में दूरदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर दूर करके, राजकोषीय घाटे में कमी लाकर राजकोषीय धारणीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन व्दारा सरकार की राजकोषीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यम कालिक रुप रेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करके राज्य सरकार के उत्तरदायित्व का तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल व्दारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।
(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त, राजपत्र में, अधिसूचना व्दारा नियत करे।

2. परिभाषाएँ.
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) ''बजट'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण;
(ख) ''चालू वर्ष '' से अभिप्रेत है आगामी वर्ष का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;
(ग) ''आगामी वर्ष'' से अभिप्रेत है ऐसा वित्तीय वर्ष जिसके लिये बजट पेश किया जा रहा है;
(घ) '' वित्तीय वर्ष '' से अभिप्रेत है अप्रैल की पहली तारीख को प्रारंभ होने वाला वर्ष;
(ड.) ''राजकोषीय घाटा '' से अभिप्रेत है राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों, ऋणों की वसूली और ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक कुल संवितरण (ऋण के प्रतिसंदाय का शुद्ध) ;

(च) ''राजकोषीय लक्ष्य'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिये, जीएसडीपी की आंकिक सीमा ओर अनुपात के ऐसे उपाय, जो विहित किये जाएं;

(छ) ''जीएसडीपी'' से अभिप्रेत है चालू बाजार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन;

(ज) '' रिजर्व बैंक '' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम्, 1934 (1934 का संख्यांक 2) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक;

(झ) ''राजस्व घाटा'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर;

(ञ) ''कुल दायित्व '' से अभिप्रेत है राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व तथा इसमें राज्य सरकार की जोखिम अधिमान प्रत्याभूति बाध्यताएं सम्मिलित है, जहां राज्य बजट में से मूल और/या ब्याज का उपयोग होता है।

3. राजकोषीय प्रबंधन के उद्देश्य. राज्य सरकार–

(क) राजस्व घाटे को दूर करने के लिये समुचित उपाय करेगी और तत्पश्चात् पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाये रखेगी तथा राजकोषीय घाटे को धारणीय स्तर पर बराबर बनाये रखेगी, और ऐसे अधिशेष का पूंजीगत व्यय के निधिकरण के लिये उपयोग करेगी;

(ख) लागत की वसूली और इक्विटी का सम्यक ध्यान रखते हुये करेतर राजस्व को बढ़ाने की नीतियों का अनुसरण करेगी; और

(ग) पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता के लिये सन्नियम अधिकथित करेगी, और ऐसी व्यय नीतियों का अनुसरण करेगी, जो आर्थिक विकास, गरीबी कम करने में और मानव कल्याण की उन्नति के लिये प्रेरक शक्ति होगी।

4. राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धान्त. राज्य सरकार, निम्नलिखित राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात् –

(क) राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को उपवर्णित करने में, लोक नीति के क्रियान्वयन में और राजकोषीय सूचना के प्रकाशन में पारदर्शिता, जिससे राजकोषीय नीति के संचालन में और लोक वित्त की संवीक्षा करने में जनता समर्थ हो सके;

(ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थायित्व और पूर्वानुमेयता;

(ग) लोक वित्त प्रबंधन में उत्तरदायित्वता, जिसमें बजट बनाने में सत्यनिष्ठा भी सम्मिलित है;

(घ) इस निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हुए कि भावी पीढियों पर उनकी वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखकर, राज्य सरकार की नीति का निर्णय लिया गया है; और

(ड.) राजकोषीय नीति को बनाने और उसके क्रियान्वयन में दक्षता।

5. राजकोषीय नीति के विवरण विधान –मंडल के समक्ष रखे जाएंगे.

राज्य सरकार, बजट के साथ–साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित विवरणों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधान–मंडल के समक्ष रखेगी, अर्थात् :–

(क) वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (माक्रोइकानामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट);

(ख) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; और

(ग) राजकोषीय नीति युक्ति विवरण।

6. वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रोइकानामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट).

वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जो विहित किया जाए और जिसमें राज्य की अर्थ व्यवस्था पर विस्तृत विचार, जीएसडीपी के विकास और क्षेत्रीय सम्मिश्रण का विश्लेषण, राज्य सरकार की वित्तीय और भावी संभावना से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।

7. मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

(1) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जो विहित किया जाए और इसमें राज्य सरकार के राजकोषीय उद्देश्यों और पूर्वानुमानों का स्पष्ट निरुपण करते हुये पॉच वर्ष के चल लक्ष्य अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) विशिष्टतया तथा उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरणों में, राजकोषीय लक्ष्यों के पीछे कतिपय पूर्वानुमानों और धारणीयता के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, –

(एक) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्ययों के बीच संतुलन;

(दो) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग; और

(तीन) बीमांकित आधार पर या आगामी दस वर्ष के लिये विकास

दर के रुख का उपयोग करके निकाले गये अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।

8. राजकोषीय नीति युक्ति विवरण.

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, ऐसे प्ररुप में होगा, जैसा कि विहित किया जाए और उसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे,–

(एक) कराधान, व्यय, उधारों और अन्य दायित्वों के संबंध में राज्य सरकार की आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति जिसमें प्रत्याभूतियां भी सम्मिलित हैं;

(दो) राजकोषीय क्षेत्र में आगामी वर्ष के लिये राज्य सरकार की कार्यनीति प्राथमिकताएं ;

(तीन) कराधान, सहायिकी, व्यय, प्रशासित मूल्य निर्धारण और उधारों से संबंधित राजकोषीय उपायों में कोई भी मुख्य विचलन के लिये मुख्य राजकोषीय उपाय और मूलाधार; और

(चार) धारा 4 में दिये गये राजकोषीय प्रबंधन सिद्धांतों, धारा 7 में दिये गये मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में अन्तर्विष्ट राजकोषीय उद्देश्यों और धारा 9 में दिये गये राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन।

9. राजकोषीय लक्ष्य,

(1) राज्य सरकार, ऐसे लक्ष्यों को विहित कर सकेगी, जो वह राजकोषीय प्रबन्धन के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक समझे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार –

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटे को कम करेगी जिससे इसे 31 मार्च, 2009 तक समाप्त किया जा सके तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बढ़ाया जा सक;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को कम करेगी, जिससे 31 मार्च, 2009 तक वह जी एस डी पी के 3.00 प्रतिशत से अधिक न रहे;

(ग) 10 वर्षों की कालावधि के भीतर यह सुनिश्चित करेगी यानी 31 मार्च, 2015 को कुल दायित्व उस वर्ष के लिये प्राक्कलित जीएसडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

(घ) प्रत्याभूतियों की वार्षिक वृध्दि दर परिसीमित करेगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि चालू वर्ष की कुल प्रत्याभूतियॉ पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं हो:

परंतु राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, भारत संघ के बजट प्राक्कलन के संबंध में केन्द्रीय कर न्यागमन में कमी के आधार या आधारों के कारण और,/या राज्य सरकार के वित्त पर आंतरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न अकल्पित बाध्यताओं के आधार या आधारों के कारण या ऐसे अन्य आपवादिक आधारों के कारण जिन्हें राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकेगा:

परंतु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में एक विवरण धारा 11 में अन्तर्विष्ट किये गये अनुसार विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

10. राजकोषीय पारदर्शिता के उपाय.

(1) राज्य सरकार, लोक हित में अपनी राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपाय करेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट पेश करते समय विस्तृत जानकारी के साथ निम्नलिखित विवरणों का प्रकटन ऐसे प्ररुपों में करेगी, जो विहित किये जायें :–

(क) लेखा मानकों में, नीतियों और राजकोषीय संगणना के व्यवहारों को प्रभावित करने वाले या प्रभावित करने की संभावना वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उधारों के रुप में और अग्रिमों और/ओवर–ड्राप्टों के व्दारा प्राप्ति के संबंध में ब्यौरे;

(ग) राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे।

11. अनुपालन करवाने के लिये उपाय.

(1) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री (जो इसमें इसके पश्चात वित्त मंत्री के नाम से निर्दिष्ट है) प्रत्येक छमाही पर बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुखों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखेगा।

(2) जब कभी, राजकोषीय नीति युक्ति विवरण में या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में वर्णित छहमाही लक्ष्यों के राजस्व में या तो कमी आती है या व्यय में आधिक्य होता है तब राज्य सरकार राजस्व में वृध्दि करने के लिये और/ या व्यय में कमी करने के लिये समुचित उपाय करेगी जिसमें राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किये जाने के प्राधिकृत राशियों में कटौती करना भी सम्मिलित है:

परंतु इस उपधारा में की कोई बात संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय या किसी ऐसे व्यय को लागू नहीं होगी, जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किये जाने के लिये अपेक्षित है या ऐसा अन्य व्यय जो स्थगित या कम नहीं किया जा सकता है ।

(3) (क) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई भी विचलन विधान–मंडल के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।

(ख) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन किया जाता है, वहां वित्त मंत्री विधान–मण्डल में निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण देते हुये कथन करेगा :–

(एक) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन;

(दो) क्या ऐसा विचलन सारवान है और वह वास्तविक या संभावित बजट परिणामों से संबंधित है; और

(तीन) ऐसे उपचारी उपाय, जिन्हें करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है।

(4) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के यथाअपेक्षित अनुपालन का कालिकतः पुनर्विलोकन करने के लिये जिम्मेदारी राज्य सरकार से स्वतंत्र किसी एजेंसी को सौंप सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकन को राज्य विधान–मंडल के पटल पर रखा जायेगा।

12. नियम बनाने की शक्ति.

(1) राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के बाबत उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 6 के अधीन वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण (माक्रो–इकानामिक फ्रेमवर्क) का प्ररुप;

(ख) धारा 7 के अधीन राजकोषीय लक्ष्यों सहित मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण का प्ररुप;

(ग) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति युक्ति विवरण का प्ररुप;

(घ) धारा 10 की उप धारा (2) के अधीन प्रकटन के लिये प्ररुप;

(ड.) धारा 11 के अधीन अनुपालन करवाने के लिये उपाय;

(च) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी व्दारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; और

(छ) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

14. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जन.

इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।

15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश व्दारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और इस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो;

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।